

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय-आदेश


एस.बी.सिविल याचिका संख्या 12479/2020 प्रियंका स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर वर्ष 2017 में चयनोपरान्त याचिकार्थिया को काउंसिलिंग के माध्यम से गृह जिले व ससुराल हनुमानगढ़ से लगभग 500 किमी. दूर राजकीय माध्यमिक विद्यालय लौरडी, तहसील-दूदू, जिला-जयपुर में पदस्थापित किया गया था। याचिकार्थिया के कथनानुसार उसके पति एसबीआई बैंक में नागपुर में कार्यरत है अतः सास-ससुर व बच्चों की देखभाल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर जयपुर जिले (जयपुर मण्डल) से हनुमानगढ़ जिले (बीकानेर मण्डल) के रा.उ.मा.वि. डबरवाला खुंजा (212332) हनुमानगढ़ जंक्शन अथवा सेठ राधाकृष्ण बिहाणी गवर्नमेंट गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल (212330) हनुमानगढ़ टाउन में से किसी एक विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में स्थानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा जयपुर मण्डल से बीकानेर मण्डल में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।


  
(सौरभ स्वामी)

आई.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/13122/2020  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

दिनांक:- 18.01.2021

1. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. याचिकार्थिया प्रियंका स्वामी पुत्री श्री आनंद प्रकाश, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी), राजकीय माध्यमिक विद्यालय लौरडी, तहसील-दूदू, जिला-जयपुर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)